आर 0 के0 अरोड़ा, महाप्रबंधक और अन्य

बनाम

मेसर्स एस एंटरप्राइजेज

07 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण कुरियन जोसेफ और मोहन एम 0 शांतनगौदर]

*न्यायालय की अवमानना – अवमानना याचिका – – उसकी संधार्यता –तथ्यों के आधार पर, निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन का आरोप – अवमानना शुरू करने के लिए प्रतिवादी द्वारा आवेदन – विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए आवेदन को खारिज करना कि कोई अवमानना नहीं थी – उच्च न्यायालय ने माना कि उप–न्यायाधीश ने एक अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया, न कि कानून के तहत – अपील पर, निर्णय : हालांकि निचली अदालत के समक्ष अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, यह वास्तव में, 1977 अधिनियम के आदेश XXXIX, नियम 1.2A के तहत कार्रवाई करने के लिए एक याचिका थी – यह ऊपरी तौर पर अवमानना शुरू करने का मामला नहीं है – ये दो अलग–अलग अधिकार क्षेत्र हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है – अवमानना शुरू करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को 1977 अधिनियम के आदेश XXXIX, नियम 2 A के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाएगा – जम्मू और कश्मीर सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1977 – आदेश XXXIX, नियम 2A*

अपील का निपटारा करते हुए अदालत का

निर्णय : 1.1 यद्यपि निचली अदालत के समक्ष अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन वास्तव में, यह जम्मू और कश्मीर सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1977 के आदेश XXXIX नियम 2 ए. के तहत कार्रवाई करने के लिए एक याचिका थी। यह ऊपरी तौर पर अवमानना शुरू करने का मामला नहीं है। ये दो अलग–अलग अधिकार क्षेत्र हैं। उच्च न्यायालय द्वारा केवल यही स्पष्ट किया गया है। यह निर्देश दिया जाता है कि अवमानना शुरू करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को 1977 अधिनियम के आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाएगा। विचारण न्यायालय पहले यह देखेगा कि क्या निषेधाज्ञा के आदेश की कोई अवज्ञा है और यदि अवज्ञा का कोई निष्कर्ष निकलता है, तो अकेले आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत बाकी का पालन किया जाएगा। [पैरा 7] [495–एफ–एच; 496–ए]

1.2 जम्मू और कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 आदि के तहत अलग–अलग अनुबंधों और लंबित आवेदन के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियां अपीलकर्ताओं के लिए उचित स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचार करने के लिए खुली हैं। लंबे समय से लंबित मामला होने के कारण, विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदन पर तेजी से फैसला करे। [पैरा 8] [496–B–C]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1820 वर्ष 2018

ओ.डब्ल्यू.पी. संख्या 377/2014 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर के दिनांक 16.12.2015 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से तुषार मेहता, ए.एस.जी., राहुल नारायण, सुश्री माला नारायण, सुशांत गोयल, वकील।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, प्रतिवादी की ओर से वकील।

प्रतिवादी– स्वयं उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

**कुरियन, न्यायमूर्ति.** 1. अनुमति दी गई।

2. दिनांक 22.06.2011 को लघुवाद न्यायालय, श्रीनगर ने निम्नलिखित शर्तों में निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया:–

"हाथ में आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, संभावना है कि आवेदक का मुकदमा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए न्याय के हित में हाथ में आवेदन की अनुमति दी जाती है और मेसर्स एसीई एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ और अन्य नामक मामले के संबंध में मध्यस्थता के समक्ष कार्यवाही पर तब तक रोक लगाई जाती है जब तक कि दूसरे पक्ष से आपत्तियां दर्ज नहीं हो जाती हैं। इस फाइल को 26–07–11 को रखें।''

3. उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। प्रार्थना इस प्रकार है: –

इसलिए अनुरोध किया जाता है कि अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए और अवमाननाकर्ताओं को कानून के अनुसार दंडित किया जाए और मध्यस्थ द्वारा पारित पुनरुद्धार के आदेश पर रोक लगाई जाए।

4. लघुवाद अदालत ने किसी भी प्रावधान का उल्लेख किए बिना प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अवमानना के आवेदन के रूप में माना। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहां तक कि आवेदक ने भी अवमानना शुरू करने के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया था। न्यायालय ने दिनांक 06.11.2013 को एक आदेश पारित किया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई अवमानना नहीं है और दिनांक 22.06.2011 के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आदेश का प्रभावी भाग, प्रासंगिक सीमा तक, निम्नानुसार है: –

"मध्यस्थ द्वारा जारी मध्यस्थता की कार्यवाही, मध्यस्थ और प्रतिवादियों के विद्वान वकील की समझ पर आधारित है कि 22–06–2011 के आदेश का सही आयात क्या है। उक्त सहमति, हालांकि विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, को इसमें शामिल पक्षों के वकीलों की ओर से जानबूझकर और जानबूझकर अदालत के 22–06–2011 के आदेश की अवहेलना करने का प्रयास नहीं माना जा सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही जम्मू और कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध एक स्वतंत्र और वैधानिक उपाय है। उक्त अधिनियम के उपबंधों का सामान्य कानूनों पर अभिभावी प्रभाव पड़ता है।

सांविधिक उपाय और विशेष अधिनियम के तहत कार्यवाही के प्रयोग को सामान्य घटनाओं में बाधित नहीं किया जा सकता है। यदि संविधि सिविल न्यायालय द्वारा शक्ति के ऐसे प्रयोग का प्रावधान करती है, तो सिविल न्यायालय ऐसे अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, वह भी सीमित क्षेत्र में।

जम्मू और कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध मध्यस्थ द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, अदालत में या मध्यस्थ के समक्ष प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा दी गई सलाह, और वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को सिविल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन या जानबूझकर या स्वेच्छया आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। जब तक कि उल्लंघन स्पष्ट, बलपूर्ण और स्पष्ट रूप से जानबूझकर और स्वेच्छया नहीं किया जाता है, जिसका उद्देश्य अदालत द्वारा पारित आदेश को पराजित करना है। श्रीनगर के उप– न्यायाधीश/ न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति और मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से, मुझे अवमानना आवेदन में नामित व्यक्तियों द्वारा 22.06.2011 के आदेश का कोई उल्लंघन या उल्लंघन नहीं मिलता है। अदालत की अवमानना के लिए उक्त नामित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई उचित और पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार, उक्त नामित व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त की जाती है। आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदन के रिकॉर्ड को पूरा होने पर वाद फाइल का हिस्सा बनाया जाए।''

5. उस आदेश को प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। पैराग्राफ 11, 13 और 17 में, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष निम्नानुसार दर्ज किए हैं: –

> "11. माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अवमानना याचिका में विद्वान उप–न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जम्मू और कश्मीर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्या XXV) (संक्षेप में, अदालत की अवमानना अधिनियम) अदालतों की अवमानना को दंडित करने में कुछ अदालतों की शक्ति को परिभाषित करने और सीमित करने और इसके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार दिया जा सके। हालांकि, अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 10 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अदालतों की अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में उसी प्रक्रिया और प्रथा के अनुसार समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार होंगे और उसका प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि वह स्वयं की अवमानना के संबंध में करता है; परन्तु उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में कथित अवमानना का संज्ञान नहीं लेगा, जहां ऐसी अवमानना रणबीर दंड संहिता, 1989 के तहत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार, कानून में प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय की अवमानना होती है, तो यह अकेले उच्च न्यायालय है जिसके पास ऐसी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। अनिवार्य रूप से, इसलिए, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है और खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती है; अवमानना के लिए एक आवेदन की सुनवाई करने और उस पर निर्णय लेने का सवाल बहुत दूर है।

13. चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के पास स्वयं की अवमानना का संज्ञान लेने, या अवमानना याचिका पर कार्यवाही शुरू करने या इसका प्रयास करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए यह अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मामले में, विद्वान उप–न्यायाधीश ने न केवल संज्ञान लिया है, बल्कि उस पर कार्यवाही शुरू करने और संचालित करने के लिए आगे बढ़े हैं और अंत में इसका निर्णय लिया है। इस प्रकार विद्वान उप–न्यायाधीश ने एक अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है, जो कानून के तहत इसमें निहित नहीं है।

17. इस मामले की बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अदालत के संज्ञान में लाया कि विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करते हुए नियुक्त मध्यस्थ ने अंततः कार्यवाही समाप्त कर दी है और याचिकाकर्ता के हितों के खिलाफ अंतिम निर्णय पारित किया है। लागू कानूनों के संदर्भ में अवमानना याचिका में निर्णय लंबित होने के कारण, अंतिम निर्णय पर रोक रहेगी।

यहां शायद ही यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि यदि यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन हुआ है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति और उसके द्वारा पारित किसी भी फैसले के साथ उसके द्वारा की गई कार्यवाही कानून की नजर में गैर–कानूनी हो जाएगी।''

6. जब यह मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो 18.04.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: –

"हालांकि कानून की स्थापित स्थिति के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि विचारण न्यायालय के पास जम्मू–कश्मीर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1997 के तहत कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है कि विभिन्न अनुबंधों के तहत दो अलग–अलग कार्यवाही हैं। इस मामले को देखते हुए नोटिस जारी करें। इस बीच, आक्षेपित आदेश के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।''

7. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री अब्दुल रहमान को अनुमति पर सुनने के बाद, हम किसी अन्य तथ्यात्मक विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हालांकि निचली अदालत के समक्ष अवमानना के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन वास्तव में, यह जम्मू और कश्मीर नागरिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1977 के आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत कार्रवाई करने के लिए एक याचिका थी। यह ऊपरी तौर पर अवमानना शुरू करने का मामला नहीं है। ये दो अलग–अलग अधिकार क्षेत्र हैं। उच्च न्यायालय द्वारा केवल यही स्पष्ट किया गया है। इसलिए, अपील को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है:

i) अवमानना शुरू करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को जम्मू और कश्मीर नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2 ए के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाएगा। इसे तदनुसार पुन: क्रमांकित किया जाएगा।

ii) विचारण न्यायालय पहले यह देखेगा कि क्या निषेधाज्ञा के आदेश की कोई अवज्ञा है और यदि अदालत अवज्ञा का निष्कर्ष निकालती है, तो अकेले आदेश XXXIX नियम 2 A के तहत बाकी का पालन किया जाएगा।

8. जम्मू–कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत अलग–अलग अनुबंधों और लंबित आवेदन आदि के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियां अपीलकर्ताओं के लिए उपयुक्त स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचार करने के लिए खुली हैं। यह प्रतिवादी के लिए भी खुला होगा कि वह निचली अदालत के समक्ष सभी उपलब्ध दलीलों को ले जाए। लंबे समय से लंबित मामला होने के कारण, हम विचारण न्यायालय को इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदन पर तदनुसार निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।

कोई कीमत नहीं।

निधि जैन। अपील का निपटारा।

**अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
**Advocate**
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733